मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक बी-25/45/99/पी.डबल्यू.सी./चार भोपाल, दिनांक 1.4.2000.

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त जिलाध्यक्ष.

मध्य प्रदेश.

विषय:- शासकीय सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. एफ बी-6/4/90/नि-2/चार, भोपाल दिनांक 16.4.90

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ बी-6/4/90/नि-2/चार, भोपाल दिनांक 16.4.90 द्वारा शासकीय सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार की सहायता हेतु यह निर्णय लिया गया था कि यदि अविवाहित कर्मचारी की शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उसके ऊपर आश्रित पिता तथा पिता के जीवित न होने पर उसके आश्रित माता को अनुग्रह अनुदान (एक्स-ग्रेशिया) की राशि भुगतान की जा सकती है। ऐसा करने के लिए उनकी समस्त स्त्रोतों से (पेंशन लाभों सहित) आय की सीमा 500/- रू. प्रतिमाह रखी गई थी।

2 दिनांक 1.1.96 से केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन के समेकन के फलस्वरूप अव विचारोपरांत राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऊपर उल्लेखित समस्त स्त्रोतों से (पेंशन लाभों सहित) आय की सीमा रू. 500/- प्रतिमाह में वृद्धि कर उसे रू. 1,275/- रू. प्रतिमाह किया जाए।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

हस्ता/-
(जी.पी. सिंघल)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्रमांक बी-25/45/99/पी.डबल्यू.सी./चार भोपाल, दिनांक 1.4.2000.

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0, इंदौर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, म0प्र0, भोपाल ।
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखा सामग्री भोपाल।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) मंत्रालय, भोपाल ।
.8 अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) मंत्रालय, भोपाल ।
9. मुख्य लेखा अधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल ।
10. श्री राममूर्ति पाण्डेय, प्रांताध्यक्ष, म.प्र. वन कर्मचारी संघ, एच-11, फोरस्ट कालोनी, कोलार रोड भोपाल